

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

(I.A No. 459/2024)

IN THE MATTER OF:

GHIRRAU LAL MISHR AND ORS.

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GONDA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 31.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 20.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	COPIES OF LETTER DATED 27.09.2025 AND; EMAIL AND LETTER DATED 19.11.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	COPIES OF LETTERS DATED 18.12.2025, 30.12.2025, 12.01.2026 AND 19.01.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF EMAIL DATED 20.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 21.01.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

(I.A No. 459/2024)

IN THE MATTER OF:



GHIRRAU LAL MISHR AND ORS.

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(s)

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE,
GONDA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT.
31.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, PRJYANKA NIRANJAN, aged about 41 years, s/o
w/o Manish Singh, presently posted as District Magistrate,
Gonda, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.


जिलाधिकारी
गोंडा

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER


3. That in the present matter, the applicants have alleged that some builders/ developers in illegal manner are encroaching upon flood plain area/ river bank and attempting to make constructions in an illegal manner so as to obstruct smooth flow of river Tedhi in the area concerned.

II. REPLY IS AS FOLLOWS

That the Chief Engineer, Irrigation Department, vide letter dated **20.01.2026**, has furnished the updated status of the work carried out in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, which is detailed in the paragraphs hereinbelow.

A copy of letter dated 20.01.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-1**.

5. That the Executive Engineer, Saryu Drainage Division-I, Gonda, vide letter dated **27.09.2025**, provided the **DTM (MSL)** data of the Tedhi River along with the **1-metre contour interval map** of the said river, which was forwarded to NIH, Roorkee through email dated **18.11.2025**. Thereafter, vide




AP
जिलाधिकारी
गोंडा

letter dated 18.11.2025, a request was made to NIH, Roorkee to furnish the report regarding determination of the flood plain zone at the earliest, so as to ensure adherence to the timelines stipulated in terms of the directions of the Hon'ble NGT.

Copies of letter dated 27.09.2025, email dated 18.11.2025 and letter dated 18.11.2025 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-2*.

6. That, Irrigation Department, vide letters dated 18.12.2025, 30.12.2025, 12.01.2026 and 19.01.2026, had requested the Director, NIH, Roorkee to furnish the said report at the earliest, so as to avoid any delay, ensure adherence to the timelines as directed by the Hon'ble Tribunal, and to secure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and



Copies of letters dated 18.12.2025, 30.12.2025, 12.01.2026 and 19.01.2026 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-3*.

7. That, vide email dated 20.01.2026, Scientist 'E', NIH, Roorkee informed that, based on the data provided, the flood plain delineation has been completed and is presently under the review process. It was further stated that the review would be completed and the final draft report would be submitted to the Irrigation Department by 10.02.2026.

A copy of email dated 20.01.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.

जिलाधिकारी
गोण्डा


8. That the deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, is filing the present affidavit and remains duty-bound to ensure compliance with the said directions in their true letter and spirit.
9. Hence, this additional affidavit is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.
10. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT
 जिलाधिकारी
 गोंडा

VERIFICATION

Verified at Gonda on this 21 day of January 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly Affirmed &
 Declared before me
 on 21-01-2026

Dayanand Mishra
 Advocate
 Notary Kachehari
 Distt. Gonda (U.P.) 271001


 जिलाधिकारी
DEPONENT

प्रेषक:-

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक: 65/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3,

दिनांक- 20 जनवरी, 2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सरयू-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या द्वारा दिनांक- 20.01.2026 को सायं 05:50 बजे वाहटसअप के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो निम्नवत् है:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2026 को दाखिल किये जाने हेतु नरैटिव:-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 के दिनांक 19.09.2024 के आदेश में टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) अधिकरण आदेश, 2016 के क्रम में लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त वाद में दिनांक- 31.10.2025 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.01.2026 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई है। उक्त दिनांक को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा प्रतिवादी न० 6 से 10 को जिलाधिकारी, गोण्डा के द्वारा दाखिल की गई आख्या पे आपत्ति हेतु अवसर प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि को शिकायतकर्ता को सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु आदेश पारित किया गया है।

उक्त वाद के पारित आदेश के अनुपालन में किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति:-
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित किये गये आदेश के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा के पत्रांक-1061/स०ड्रे०ख०प्र०गो०/ एन०जी०टी०/दिनांक 27.09.2025 द्वारा टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा एवं 01 मीटर कन्टूर इण्टरवल मैप ईमेल द्वारा उपलब्ध कराते हुए सूचना पत्रांक-1256/स०ड्रे०ख०प्र०गो०/ एन०जी०टी०/दिनांक 19.11.2025 द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की से ड्राफ्ट रिपोर्ट हेतु वांछना की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है।

उक्त के क्रम मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० अयोध्या के पत्रांक-33/मुअसप्र/एन०जी०टी०/दिनांक 19.01.2026, अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल, सिंचाई कार्य, गोण्डा के पत्रांक-360/पंचदशम/एन०जी०टी०/दिनांक 16.01.2026, अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा के पत्रांक-1370/ स०ड्रे०ख०प्र०गो०/एन०जी०टी०/दिनांक 18.12.2025, पत्रांक-1418/स०ड्रे०ख०प्र०गो०/एन०जी०टी०/दिनांक 30.12.2025 एवं पत्रांक-47/स०ड्रे०ख०प्र०गो०/एन०जी०टी०/दिनांक 12.01.2026 द्वारा पुनः निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की से टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन जोनिंग से सम्बन्धित रिपोर्ट की वांछना की गई है, परन्तु निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित रिपोर्ट वांछित है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचनीय है कि दूरभाष के माध्यम से निदेशक, जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के कार्यालय के द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है।

- उक्त के साथ यह भी सूचनीय है कि टेढ़ी नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र के सीमांकन हेतु एक अद्द परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की मुख्य अभियन्ता समिति, तकनीकी सलाहकार समिति एवं स्थायी संचालन समिति द्वारा लागत रू० 419.18 अनुमोदित करायी गयी है।

3. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के ई-मेल दिनांक 20-01-2026 समय 15.42 अपराह्न द्वारा अवगत कराया गया कि प्लड प्लेन जोनिंग के उपलब्ध डाटा अनुसार प्लड प्लेन चिन्हांकन का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका रिप्यू किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 10-02-2026 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि 22.01.2026 निर्धारित है।
मुख्य अभियन्ता (सरयू-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या द्वारा विषयगत वाद में दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी आख्या प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

Rak

(राकेश यादव)

20/1/26

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)


पत्रांक एवं दिनांक- यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (सरयू-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या।

(राकेश यादव)

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)



अधिसासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- /स०ड्रे०ख०प्र०गो०/एन०जी०टी०/

दिनांक-27/09/2025

विषय:- टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा प्राप्त कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वाद संख्या ओ०ए० 402/2024 घिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु सम्बन्धी टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु इस खण्ड में कार्यरत श्री सुनील, जूनियर इंजीनियर को नामित किया जाता है। इनका हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित है, कृपया इनसे उक्त टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा प्राप्त करने का कष्ट करें :-



[Signature]

अधिसासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
गोण्डा

(मयंक राज सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक:- 1061/स०ड्रे०ख०प्र०गो०/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।
2. श्री सुनील, जूनियर इंजीनियर, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), विभूती खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से प्राप्त डाटा को निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड के कार्यालय में दिनांक 29/09/25को उपस्थित होकर डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

The data has been received and earlier submitted HDD is returned here with.

[Signature]
Scientist
Surface Water Hydrology Division
National Institute of Hydrology
Roorkee-247 667, Uttarakhand

[Signature]
(मयंक राज सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

**Regarding flood plain zoning of Tedhi River.**

1 message

Executive Engineer <eesaryudrainagekhand1@gmail.com>
To: Jagadish Patra <patra.nih@gmail.com>, dir.nihr@gov.in

Tue, 18 Nov 2025 at 2:35 pm

Sir, Please find the attachment regarding above subject.
Thanks & Regards

 63E10SE.pdf 63E11NE.pdf 63E11SE.pdf 63E12NE.pdf 63E15NW.pdf 63E15SW.pdf 63E16NE.pdf 63E16NW.pdf 63E16SE.pdf 63E16SW.pdf 63F13NE.pdf 63J1NW.pdf 63J1SE.pdf 63J1SW.pdf 63J5SW.pdf

अधिरासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-1256/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक-19/11/2025

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वाद संख्या ओ0ए0 402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की अगली तिथि 22.01.2026 निर्धारित है। उक्त वाद में इस कार्यालय के पत्रांक-1061/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 27.09.2025 द्वारा टेढ़ी नदी का DATM (MSL) डाटा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा आज दिनांक 18.11.2025 ईमेल के माध्यम से 01 मी0 कन्टूर इण्टरवल मैप उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः उक्त वाद के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित रिपोर्ट अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विभाग द्वारा निर्धारित व प्रेषित टाइमलाइन से वर्तमान में हम विलंबित हो रहे हैं।

o/c

(मयंक राज सिंह)

अधिरासी अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक-1256/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, एनेकसी भवन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

o/c

(मयंक राज सिंह)

अधिरासी अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

प्रश्नक,

अधिशारी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- 1379/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक-12/12/2025

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 घिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्रांक-1256/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 19.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या ओ0ए0 402/2024 घिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की अगली तिथि 22.01.2026 निर्धारित है। उक्त वाद में इस कार्यालय के पत्रांक-1061/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 27.09.2025 द्वारा टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा एवं दिनांक 18.11.2025 ईमेल के माध्यम से 01 मी0 कन्दूर इण्टरवल मैप आपको उपलब्ध करा दिया गया था, किन्तु अभी तक आपके स्तर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उक्त वाद के सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित रिपोर्ट अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विभाग द्वारा निर्धारित व प्रेषित टाइम लाइन से वर्तमान में हम विलंबित हो रहे हैं।



पत्रांक- 1379/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, एनेक्सी भवन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

12/12/2025

(मयंक राज सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

12/12/2025

(मयंक राज सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

अधिकासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 1418/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक- 3-12/25

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1256/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 19.11.2025
इस कार्यालय का पत्रांक-1370/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 18.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या ओ0ए0 402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की अगली तिथि 22.01.2026 निर्धारित है। उक्त वाद में इस कार्यालय के पत्रांक-1061/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 27.09.2025 द्वारा टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा एवं दिनांक 18.11.2025 ईमेल के माध्यम से 01 मी0 कन्टूर इण्टरवल मैप आपको उपलब्ध करा दिया गया था, किन्तु अभी तक आपके स्तर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त वाद के सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित रिपोर्ट अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विभाग द्वारा निर्धारित व प्रेषित टाइम लाइन से वर्तमान में हम क्लिपित हो रहे हैं।

पत्रांक:- 1418/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, एनेक्सी भवन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

9
(मयंक राज सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

9
(मयंक राज सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

अधिकासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
पिन-271001,

वा में,

निदेशक,
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-47 / स०ड्रे०ख०प्र०गो० / एन०जी०टी० /

दिनांक 2/01/2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1256 / स०ड्रे०ख०प्र०गो० / एन०जी०टी० / दिनांक 19.11.2025
इस कार्यालय का पत्रांक-1370 / स०ड्रे०ख०प्र०गो० / एन०जी०टी० / दिनांक 18.12.2025
इस कार्यालय का पत्रांक-1418 / स०ड्रे०ख०प्र०गो० / एन०जी०टी० / दिनांक 30.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या ओ०ए० 402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की अगली तिथि 22.01.2026 निर्धारित है। टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित **Final draft report** उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम तिथि माह दिसम्बर-2025 के प्रथम सप्ताह निर्धारित थी (छायाप्रति संलग्न), परन्तु अभी तक आपके स्तर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है।

उक्त वाद के सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण से सम्बन्धित रिपोर्ट अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वर्तमान में हम

वर्गमग एक माह से अधिक विलम्ब हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

(मयंक राज सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक-47 / स०ड्रे०ख०प्र०गो० / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, एनेक्सी भवन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।

(मयंक राज सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
अयोध्या

दिनांक: अयोध्या: जनवरी 19/1/2026

पत्रांक: 33 /मुअसप्र/एन0जी0टी0

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद- गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन खण्ड अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-1, गोण्डा के पत्रांक: 1061/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/ एन0जी0टी0 दिनांक: 27.09.2025 द्वारा टेढ़ी नदी का DTM (MSL) डाटा उपलब्ध कराते हुए 01मी0 कण्टूर इण्टरवल मैप ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराते हुए सूचना पत्रांक: 1256/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/ एन0जी0टी0 दिनांक: 19.11.2025 द्वारा आपके कार्यालय में उपलब्ध कराई गयी। वर्तमान में सन्दर्भित प्रकरण से सम्बन्धित अगली सुनवाई की तिथि 22.01.2026 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में निर्धारित है।

अवगतनीय है कि अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम् मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा के पत्रांक: 360/पंचदशम्/ एन0जी0टी0 दिनांक: 16.01.2026 तथा अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-1, गोण्डा के पत्रांक: 1370/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/ एन0जी0टी0 दिनांक: 18.12.2025, पत्रांक: 1418/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/ एन0जी0टी0 दिनांक: 30.12.2025, पत्रांक: 47/ स0ड्रे0ख0प्र0गो0/ एन0जी0टी0 दिनांक: 12.01.2026 द्वारा आपसे फ्लड प्लेन जोनिंग की ड्राफ्ट रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि आप द्वारा टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु दी गयी टाइमलाइन के अनुसार रिपोर्ट देने में विलम्ब हो चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि फ्लड प्लेन जोनिंग की वांछित रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय में विभाग की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(संजय त्रिपाठी)

मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम)

19/01/2026

पत्रांक: /मुअसप्र/ एन0जी0टी0/तदिनांक:


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम् मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-1, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(संजय त्रिपाठी)

मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-प्रथम)





Executive Engineer <eesaryudrainagekhand1@gmail.com>

(no subject)

2 messages

Executive Engineer <eesaryudrainagekhand1@gmail.com>

Mon, Jan 12, 2026 at 4:41 PM

To: Jagadish Patra <patra.nih@gmail.com>, dir.nihr@gov.in, cesaryu1fzbid@gmail.com, se15circlegonda@gmail.com

Please find the attachment regarding above subject matter
Thanks & Regards

New Doc 01-12-2026 15.38.pdf
850K

Jagadish Patra <patra.nih@gmail.com>

Tue, Jan 20, 2026 at 6:25 PM

To: Executive Engineer <eesaryudrainagekhand1@gmail.com>

Sir,

Based on available data, the flood plain has been delineated and it is being reviewed. It is to inform you that after checking the report will be submitted by 10 February 2026.

With best regards,
Jagadish

Jagadish Prasad Patra

Scientist 'E'

Surface Water Hydrology Division

National Institute of Hydrology, Roorkee

Roorkee -247667

Uttarakhand, India

Tel: +91-1332-249312

Fax: +91-1332-272123, 273976

जगदीश प्रसाद पात्रा

वैज्ञानिक 'इ'

सतही जल जलविज्ञान प्रभाग

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की

रुड़की-247667, उत्तराखंड, भारत

